



**कार्यालय कलेक्टर, जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क्रमांक / 1571 / भू-अर्जन / 2024

कोरबा, दिनांक 14-02-2025

क्रमांक 202109050500006 / अ-62 / 2020-21, चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की, ए.डी.बी.परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली- शिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

01.	जिला	:	कोरबा
02.	तहसील	:	पाली
03.	ग्राम	:	पोंड़ी
04.	भूमि का क्षेत्रफल	:	0.9574 हे.

खसरा	रकबा (हे.वै)
3/1/ड	0.0220
1231/3	0.0024
1231/1	0.0068
1231/2	0.0040
2062/2	0.0190
2062/3	0.0190
2169/2	
2059/1	0.0060
2059/2	
2163	0.0020
2164/2	0.0053
2059/3	0.0020
2059/4	
2059/5	0.0030
2168/1	0.0033
1398/9	0.2300
1398/5	0.0225
1398/10/ख	0.0450
1398/10/क	0.1060
1398/10/ग	0.1130
928	0.066
1229/1	0.0217
1221/5	0.007
2191/5	0.0072
2209/1	0.023
2209/3	0.013
2213/3	0.036
2052/1	0.031
2211	0.0154
2269	0.1148
2053/3	0.0040
2151/2	0.006
2152/2	
1399/3	0.0010
31 खसरे	0.9574

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)


(अर्जित वसंत)
कलेक्टर
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग